

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1447

दिनांक 05/07/2022

प्रार्थी :-

1.केवलाराम 2.डुंगाराराम 3.भेराराम
पि.रावताराम, जाति ब्राहमण,
निवासी बाछड़ाऊ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. मेघाराम 2.रुखमणाराम पि.खुमाराम
3. जेठाराम पुत्र भीयाराम 4.भोमाराम
5.घमूराम पि. खीमाराम 6.सताराम
7.पुरखाराम 8.कुन्दनाराम पि.दीपाराम
9.राजूराम पुत्र तुलछाराम, जातियान जाट,
निवासी बाछड़ाऊ, तहसील चौहटन
10.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 257/2018

दिनांक : 05.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा बाछड़ाऊ के खेत खसरा सं. 678 रकबा 68.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1448 to 1451

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण केवलाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण मेघाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 05/07/2022

(भागी II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन